सेवा में
श्रीमान सरपंच महोदय
ग्राम पंचायत ....

विषयः— आबादी भूमि मे भूमिहीन परिवार को भुखण्ड आवंटन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि ग्राम .... के वार्ड नम्बर ....मे लगभग जन्म वर्षो से मैं और मेरा परिवार .... में निवास कर रहे है।मेरी जाति .... हैं मै भूमिहीन हूं मेरे भारत के किसी इलाके में कोई आवासीय व कृषि भूमि नही है । मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य तथा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से आज दिनांक तक पट्टा जारी नही किया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि आबादी भूमि मे भूमिहीन परिवार को भुखण्ड आवंटन करने की कृपा करे।

सलंग्नः—

1 मतदाता पहचान पत्र/ आधार कार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति
2 राशन कार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति
3 50/ रूपये के स्टाम्प पर भूमिहीन होने का शपथ पत्र
4 यदि बी.पी.एल. है तो कार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति

राशन कार्ड नं.
आधार कार्ड नं.

मोबाइल नंबर
जन आधार नंबर

ह0/ अंगुठा निशानी प्रार्थी
नामः—श्री/श्रीमती ....
पिता/पति का नाम ....
जाति .... निवासी ....
पंचायत समिति ....
जिला ....

रिपोर्ट सम्बन्धित वार्ड पंचः—

श्रीमान सरपंच महोदय,

प्रार्थी द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है। उपरोक्त विवरण सही है। प्रार्थी का परिवार भूमिहीन परिवार है ।

अतः उक्त परिवार को नियमानुसार भुखण्ड आवंटन करना उचित होगा। रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर वार्ड पंच
नाम ....
वार्ड संख्या ....

कार्यालय पटवार मण्डल .... तहसील ....(....................)

भूमिहीन प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती...................................... पुत्र /पत्नी श्री/श्रीमती...जाति..........................निवासी ग्राम .... ग्राम पंचायत .... के स्वयं के नाम पटवार मण्डल .... में कोई खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है और न ही नोशनल शेयर में हिस्सा रखता हैं ।

अत :श्री/श्रीमती .... पुत्र /पत्नी श्री/श्रीमती .... का परिवार राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पटवार मण्डल .... की भूमिहीन के श्रेणी में आता हैं।

पटवारी
पटवार मण्डल ....

शपथ–पत्र

मैं .... पत्नि/पुत्र .... जाति .... वार्ड नं. .... निवासी. ग्राम .... ग्राम पंचायत .... तहसील व पंचायत समिति .... जिला .... राज्य राजस्थान वाला/वाली शपथपूर्वक बयान करता/करती हूं किः–

1. कि मै भूमिहीन हूं मेरे भारत के किसी इलाके में कोई आवासीय व कृषि भूमि नही है ।
2. मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य तथा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से आज दिनांक तक पट्टा जारी नही किया गया है।
3. कि उक्त आवेदित भुखण्ड के सम्बन्ध मे कोई जानकारी छिपाने के कारण उक्त भुखण्ड का जारी पट्टा निरस्त करने का अधिकार यथास्थिति ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद्/राज्य सरकार/न्यायालय के पास सुरक्षित रहेगा तथा निरस्तीकरण के सम्बन्ध मे, मैं किसी भी क्षतिपूर्ति का दावेदार नही होऊगा।
4. कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी गलत पायी जाती है तो ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटा स्वतः निरस्त माना जावे।
5. कि मैने शपथ पत्र की मद सख्या 01 से 03 को अपने जाति इल्म व यकीन से सही सही व बिना किसी नशे पते के होशोहवास मे सत्य लिखवाया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

हस्ताक्षर साक्षी

ह0 /अगुंठा निशानी आवेदक

....

<u>शपथ–पत्र</u>

मैं .... पत्नि/पुत्र .... जाति .... वार्ड नं. ....

निवासी ग्राम .... ग्राम पंचायत .... तहसील व पंचायत समिति ....

.... जिला .... राज्य राजस्थान वाला/वाली शपथपूर्वक बयान

करता/करती हूं किः–

1. कि मैं वर्तमान में मेरे परिवार सहित ग्राम चवा ग्राम पंचायत चवा में ओरण भूमि में जन्म से निवासरत हु ।
2. कि अगर ग्राम पंचायत द्वारा मुझे आबादी भूमि में पट्टा दिया जाता है तो मैं मेरा घर उक्त आवंटित आबादी भूमि में ही बनाऊँगा / बनाऊँगी ।
3. कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटित होने के पश्चात ओरण भूमि में कब्जासूद भूमि (भूखंड) जहां वर्तमान में मेरे परिवार सहित निवासरत हूँ , को मैं अतिक्रमण मुक्त कर दूंगा।
4. कि मैने शपथ पत्र की मद सख्या 01 से 03 को अपने जाति इल्म व यकीन से सही सही व बिना किसी नशे पते के होशोहवास मे सत्य लिखवाया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

हस्ताक्षर साक्षी

ह0 /अगुंठा निशानी आवेदक

....

आज्ञाओ की सूची

मिसल नं / नियम 158–1

प्रार्थी ....

ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति .... जिला परिषद् ....

क्र स	तारीख	कार्यवाही विवरण	आगामी सुनवाई की तांरीख
1.		(1) पत्रावली बैठक मे पेश हुई। श्री .... पुत्र/पत्नि .... जाति ....वार्ड ....निवासी .... ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वह ग्राम .... के वार्ड सख्या .... मे लगभग जन्म वर्षो से अपने परिवार सहित .... भूमि मे निवास कर रहा है । प्रार्थी भूमिहीन है । जिसका प्रार्थी या प्रार्थी के परिवार के किसी सदस्य तथा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से आज दिनांक तक पट्टा जारी नही करवाया गया है। अब प्रार्थी अपने आवासीय भुखण्ड हेतु खाली आबादी भूमि में भूखंड आवंटन करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ, मतदाता पहचान पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति,,राशन कार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति, स्टाम्प पर शपथ पत्र, सलंग्न किया है। सदन द्वारा राज्य सरकार के निर्देशो का तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने उपरान्त निर्णय लिया कि प्रार्थी को भूखंड आवंटन रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 158(1) के अध्यधीन पट्टा जारी किया जा सकता है । रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 158(1)के तहत पंचायत आबादी भूमि में .... **वर्गगज** तक की भूमि अनुसूचित जाति,स्वच्छकारों, अनु जनजाति, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृह नही है ,रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी । ऐसे आवंटियों से निम्नानुसार दर वसूल की जायेगी – 1000 से कम आबादी वाले गांवों में 2 रू प्रतिवर्गगज, 1001 से 2000 की आबादी वाले गांवों में 5 रू प्रतिवर्गगज, 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 10 रू प्रतिवर्गमीटर ऐसी भूमि का पटटा प्रपत्र 23 ग में जारी होगा । **आवंटित की गई आबादी भूमि अहस्तांतरणीय होगी** । जिसके लिए ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग के पत्राकसख्याः–एफ4()विधी/परावि/2011/1134 दिनांक 01.07.2011 तथा पत्राक सख्याः–एफ4()पटटा आवं/विधी/परा/2017/266 दिनांक 05.04.2017 के बिन्दु सख्या 09 द्वारा निर्देश दिये गये है कि" नियम 157 एव 158 के अन्तगर्त आवटन व पट्टा जारी करने के लिए निलामी द्वारा आवंटन किये जाने संबंधी प्रक्रियात्मक प्रावधान नियम 145 से 156 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की पालना अपेक्षित आवश्यक नही है।" उक्त पत्राक के निर्देशानुसार आवंटन व पट्टा जारी किये जाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा मात्र एक संकल्प पारित किया जाकर भूखंड आवंटन करने की कार्यवाही की जा सकती है। सदन द्वारा राज्य सरकार के निर्देशो का अध्ययन करने के उपरान्त निर्णय लिया कि चुंकि उपरोक्त पत्रांक अनुसार एक सकंल्प द्वारा रा.पं.रा.नियम 1996 के नियम 158(1) मे आवंटन किया जा सकता है किन्तु आबादी भूमि में स्थ्ति खाली भूखंडों के बारे में रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 146(2) के अनुसार एक तीन पंचो की समिति गठित कर रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 146(3) मे विहित बिन्दुओ के अनुसार स्थल निरिक्षण के साथ यह भी जांच करवाली जावे कि प्रार्थी को भूखंड आवंटन के लिये भूमि कहां पर खाली पडी है । भुखण्डों से सम्बन्धित कोई प्रकरण न्यायालय मे लम्बित तो नही है और भुखण्ड पंचायत की स्वीकृत आबादी भूमि मे है या नही। सदन द्वारा उक्त बिन्दुओ की जांच हेतु निम्न सदस्यो की कमेटी का गठन किया गया। **नाम मनोनीत वार्ड पंच वार्ड सख्या** 1 2 3 कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिवस मे ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगी। कमेटी गठन आदेश जारी होकर पालनार्थ सदस्यो को प्रति दी जाकर तामील को कर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली कमेटी रिपोर्ट शामिल हो आगामी बैठक मे पेश हो। ह. सरपंच	

कार्यालय ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति .... (बाड़मेर)

क्रमांकः– ग्राप........../202...–2..../ दिनांक

कार्यालय आदेश

निम्न आवेदकों ने स्वयं को भूमिहीन बताकर ग्राम पंचायत .... में अवस्थित आबादी भूमि में भूखण्डों का आवंटन कर पट्टा जारी करवाने के संबंध में आवेदन ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किये है।

आवेदनकर्ताओं की सूची निम्नानुसार है :–

क्र. स.	आवेदक का नाम	पिता का नाम	राजस्व ग्राम	विवि

ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक .... प्रस्ताव सख्या.........की पालना मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 के अन्तर्गत मौका निरिक्षण किये जाने हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है ।

क्र.स.	नाम मनोनित वार्ड पंच	वार्ड सं.
1		
2		
3		

आबादी भूमि में स्थित खाली भूखंडों के बारे में रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 146(3) मे विहित बिन्दुओ के अनुसार स्थल निरीक्षण के साथ यह भी जांच करवाली जावे कि प्रार्थी को भूखंड आवंटन के लिये भूमि कहां पर खाली पडी है । भुखण्डों से सम्बन्धित कोई प्रकरण न्यायालय मे लम्बित तो नही है , भुखण्ड पंचायत की स्वीकृत आबादी भूमि मे है या नही साथ ही यही भी जांच कर ली जावे की उक्त आवेदक भूमिहीन है या नहीं। उक्त बिन्दुओ के अनुसार संलग्न प्रपत्र मे अपनी रिपोर्ट दिनांक...............................को आवश्यक रूप से ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करे।

सरपंच
ग्राम पंचायत ....

क्रमांक / 202...–2.... /   दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थं

1. सदस्य श्री / श्रीमती..को प्रेषित कर लेख है कि आप अन्य सदस्यो से सम्पर्क कर पालना करे।
2. रक्षित पत्रावली।

सरपंच
ग्राम पंचायत ....

मौका निरीक्षण रिपोर्ट (रापंरा नियम 1996 के नियम 146)

आज दिनांक .... को ग्राम पंचायत .... की ओर से हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता(मनोनीत सदस्य)

1 श्री / श्रीमती .... वार्ड पंच वार्ड नं ....

2 श्री / श्रीमती .... वार्ड पंच वार्ड नं ....

3 श्री / श्रीमती .... वार्ड पच वार्ड नं ....

4. श्री / श्रीमती .... ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम .... की आबादी भूमि खसरा नं .... में रापरानि 1996 के नियम 157(2), 158(1),158(2),162 के तहत भुखण्ड आवंटन बाबत स्थित खाली भूखंड का मौका देखा तथा जांच की जिसका विवरण निम्नानुसार है।

भूखंड व पडौस का विवरण :–

1 क्या ऐसा आवंटन जिसके लिए आवेदन किया गया है ग्राम वासियो द्वारा आने जाने के लिए उपयुक्त सुविधाओ को प्रभावित करेगा:– **नहीं**

2 क्या ऐसा आवंटन अन्य व्यक्तियो के सुखाचारसंबंधी अधिकारो को प्रभावित करेगा :– **नहीं**

3 क्या ऐसा आवंटन परिक्षेत्र की सुंदरता व सफाई को प्रभावित करेगा :– **नहीं**

4 खाली भुखण्ड के अन्य कोई पार्श्व के निवासियो या आवेदक के रिश्तेदारो के नाम जो इस पर अपना स्वामित्व मानते हो :– **नहीं**

5 क्या ऐसा आवंटन किये जाने वाले भुखण्ड पर किसी का 31 दिसंबर 2016 से पूर्व निवास है / कितने वर्षो से संनिर्माण करके निवास कर रहा है :– **नहीं**

6 क्या ऐसा आवंटन किये जाने वाले भुखण्ड से सम्बन्धित कोई प्रकरण न्यायालय मे लम्बित तो नही है :– **नहीं**

7 क्या ऐसा आवंटन किये जाने वाला भुखण्ड पंचायत की स्वीकृत आबादी भूमि मे है :–**हाँ**

8 क्या आवेदक भूमिहीन की श्रेणी में आता है– :–**हाँ**

9. मनोनित सदस्यो की स्वय के अन्य कोई सुझाव:– **नियम 158 के तहत भूखंड आवंटन किया जाना उचित है**

ह0 मनोनीत सदस्य ह0 मनोनीत सदस्य ह0 मनोनीत सदस्य ह0 ग्राम विकास अधिकारी

तस्दीक सरपंच

मौका निरीक्षण रिपोर्ट–नक्शा (रापंरा नियम 1996 के नियम 146)

आज दिनांक .... को ग्राम पंचायत .... की ओर से हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता(मनोनीत सदस्य)

1 श्री / श्रीमती .... वार्ड पंच वार्ड नं

2 श्री / श्रीमती .... वार्ड पंच वार्ड नं

3 श्री / श्रीमती .... वार्ड पच वार्ड नं

4. श्री / श्रीमती .... ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम .... की आबादी भूमि खसरा नं .... में रापरानि 1996 के नियम 157(2), 158(1),158(2),162 के तहत भुखण्ड आवंटन बाबत स्थित खाली भूखंड का मौका देखा तथा जांच की जिसका क्षेत्रफल विवरण निम्नानुसार है।

खसरा न. ....

नाम : – ....

उत्तर 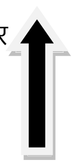 पैमाना 10फीट = 1.5 सेमी

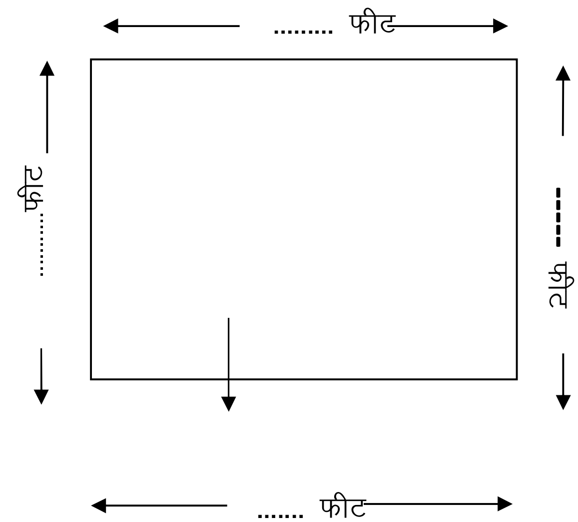

ह0 मनोनीत सदस्य ह0 मनोनीत सदस्य ह0 मनोनीत सदस्य ह0 ग्राम विकास अधिकारी

तस्दीक सरपंच

मौका निरीक्षण रिपोर्ट–नक्शा (रापंरा नियम 1996 के नियम 146)

आज दिनांक .... को ग्राम पंचायत सांजटा की ओर से हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता(मनोनीत सदस्य)

1 श्री / श्रीमती .... वार्ड पंच वार्ड नं
2 श्री / श्रीमती .... वार्ड पंच वार्ड नं
3 श्री / श्रीमती .... वार्ड पच वार्ड नं
4. श्री / श्रीमती .... ग्राम विकास अधिकारी

ग्राम .... की आबादी भूमि खसरा नं .... में रापरानि 1996 के नियम 157(2), 158(1),158(2),162 के तहत भुखण्ड आवंटन बाबत स्थित खाली भूखंड का मौका देखा तथा जांच की जिसका क्षेत्रफल विवरण निम्नानुसार है।

खसरा न. ....

नाम : – ....

क्रम संख्या	विवरण क्षेत्रफल	वर्ग फीट
01	**पूर्व** .... फीट – **उत्तर** .... फीट – **पश्चिम** .... फीट – **दक्षिण** .... फीट –	.... वर्ग फीट

ह0 मनोनीत सदस्य ह0 मनोनीत सदस्य ह0 मनोनीत सदस्य ग्राम विकास अधिकारी

तस्दीक
सरपंच

आज्ञाओ की सूची

मिसल नं ..../202............... नियम 158–1

प्रार्थी ....

ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति त्रपंचायतऋसमिति÷..जिला परिषद ....

<table>
<tr><th>क्रस</th><th>तारीख</th><th>कार्यवाही विवरण</th><th>आगामी सुनवाई की तारीख</th></tr>
<tr><td>2.</td><td></td><td>पत्रावली बैठक मे पेश हुई। आबादी भूमि में स्थित खाली भूखंडों के बारे में स्थल निरीक्षण हेतु गठित कमेटी की रिपार्ट प्राप्त हो चुकी है । सदन द्वारा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट भुखण्ड की स्थिति रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 146(3) मे विहित बिन्दुओ के अनुकुल है। प्रार्थी भूमिहीन परिवार है । भुखण्ड से सम्बन्धित कोई प्रकरण न्यायालय मे लम्बित भी नही है और भुखण्ड पंचायत की स्वीकृत आबादी भूमि मे है। उक्त भुखण्ड पर किसी अन्य का कोई स्वामित्व नही है।
आवेदक के ग्राम .... के खसरा नं .... में प्रस्तावित आवंटन योग्य भूखंड का विवरण निम्नानुसार है।

<table>
<tr><th>भूखंड का क्षेत्रफल (वर्ग फुट मे)</th><th>पूर्व दिशा में लंबाई फुट मे व पडौस</th><th>पश्चिम दिशा में लंबाई फुट मे व पडौस</th><th>उत्तर दिशा में लंबाई फुट मे व पडौस</th><th>दक्षिण दिशा में लंबाई फुट मे व पडौस</th><th>भूमि का विवरण</th><th>विवि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

अतः प्रार्थी को उक्त भूखंड आवंटन के संबंध में .... दिवस का आपत्ति नोटिस जारी कर आपत्तियां आमंत्रित कर ली जाये ताकि इस भूखंड के संबंध किसी तरह का यदि कोई एतराज हो तो सामने आ जाये । आपत्तियों पर सुनवाई हेतु पत्रावली आगामी बैठक मे पेश हो।

ह सरपंच</td><td></td></tr>
</table>

कार्यालय ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति .... (बाड़मेर)

क्रमांक / ग्राप........... / 202..........–2....... / दिनांक

नोटिस

आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय / नियमितिकरण/आवंटन के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस (प्रारूप 22 नियम 148)

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि निम्न आवेदकों ने स्वयं को भूमिहीन बताकर ग्राम पंचायत .... की आबादी भूमि में भूमि/पटटा आवंटन हेतु आवेदन किया है ।

क्र. स.	नाम आवेदक	पिता/पति का नाम	जाति	विवि

उक्त आवेदन कर्ताओं को भूमि का आवंटन ग्राम पंचायत .... के गै.मु. आबादी भूमि के ख.न .... किया जाना प्रस्तावित है।

भूमि का विवरण :– आबादी भूमि खसरा संख्या ....

यदि किसी को भी उल्लेखित भूमि के विक्रय/नियमितिकरण/आवंटन पर आक्षेप हो तो उसे उक्त आदेश की तारीख से .... दिवस के भीतर अपने आक्षेप ग्राम पंचायत कार्यालय में आकर फाइल कर देने चाहिये ।

सरपंच

ग्राम पंचायत ....

आज्ञाओ की सूची

मिसल नं ..../202..–2.....   नियम 158–1

प्रार्थी ....

ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति ....जिला परिषद् ....

<table>
<tr><th>क्रस</th><th>तारीख</th><th>कार्यवाही विवरण</th><th>आगामी सुनवाई की तारीख</th></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>
पत्रावली बैठक मे पेश हुई। प्रार्थी को भूखंड आवंटन के संबंध में आपत्ति नोटिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है । लिहाजा सदन द्वारा स्थल निरीक्षण हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट का पुनः अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट भुखण्ड की स्थिति रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 146(3) मे विहित बिन्दुओ के अनुकुल है। भुखण्ड से सम्बन्धित कोई प्रकरण न्यायालय मे लम्बित भी नही है और भुखण्ड पंचायत की स्वीकृत आबादी भूमि मे है। उक्त भुखण्ड पर किसी का कोई स्वामित्व नही है। रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 158(1) के अध्यधीन पट्टा जारी किया जा सकता है रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 158(1)के तहत पंचायत आबादी भूमि में .... वर्गगज तक की भूमि अनुसूचित जाति,स्वच्छकारों,अनु जनजाति,श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों,गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृह नही है ,रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी । ऐसे आवंटियों से निम्नानुसार दर वसूल की जायेगी –
1000 से कम आबादी पाले गांवों में 2 रू प्रतिवर्गगज,
1001 से 2000 की आबादी वाले गांवों में 5 रू प्रतिवर्गगज,
2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में 10 रू प्रतिवर्गमीटर
ऐसी भूमि का पटटा प्रपत्र 23 ग में जारी होगा । आवंटित की गई आबादी भूमि अहस्तांतरणीय होगी । आवेदक के प्रस्तावित आवंटन योग्य भूखंड का विवरण निम्नानुसार है।
<table>
<tr><th>कुल क्षेत्रफल (वर्ग फुट मे)</th><th>पूर्व दिशा में लंबाई व पडौस</th><th>पश्चिम दिशा में लंबाई व पडौस</th><th>उत्तर दिशा में लंबाई व पडौस</th><th>दक्षिण दिशा में लंबाई व पडौस</th><th>भूमि का विवरण</th><th>विवि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
आवेदक के प्रस्तावित आवंटन योग्य भूखंड हेतु प्रभार वसूली योग्य विवरण निम्नानुसार है।
<table>
<tr><th>कुल क्षेत्रफल (वर्ग गज)</th><th>वसूली दर प्रति वर्गगज</th><th>वसूली योग्य प्रभार राशि</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
अतः उपरोक्त आवेदक से रा.पं.रा. नियम 1996 के नियम 158(1) के तहत आबादी भूमि को रियायती दर...................... रू प्रति वर्ग गज की दर से रूपये .... की राशि प्रभार निक्षिप्त (जमा) कराने हेतु नोटिस जारी किया जावे। राशि जमा होने के पश्चात भूमि आवंटन प्ररूप–23–(ग) में विक्रय विलेख (पट्टा) जारी कर दिया जाये । पत्रावली आगामी बैठक मे पेश हो।
ह0 सरपंच
</td><td></td></tr>
</table>

कार्यालय ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति .... (..............)

क्रमांक / ग्राप......... / आबादी / 202.....–2..... / दिनांक

प्रेषित–

श्री .... पुत्र / पत्नी श्री ....

जति .... निवासी ग्राम पंचायत ....

विषयः– आबादी भूमि मे नियम 158.1 के तहत भूखण्ड का आवंटन हेतु राशि जमा करवाने बाबत।

उपरोक्त विषय मे लेख है कि आप द्वारा आबादी भूमि मे भुखण्ड आवंटन करने हेतु ग्राम पंचायत को प्रस्तुत आवेदन के अनुसरण मे ग्राम पंचायत बैठक दिनांक .... में आपको भुखण्ड आवंटन हेतु ....रू प्रति वर्गगज की दर से .... वर्गगज भूखंड की राशि .... रूपये नियमानुसार जमा कराने पर आवंटन किया जाना मंजुर किया है।

अतः इस संबंध मे आपको सूचित किया जाता है कि आप भुखण्ड आवंटन हेतु उपरोक्त राशि दिनांक .... तक पंचायत कोष मे जमा करवा देवे। अन्यथा आपके भुखण्ड आवंटन का फैसला निरस्त कर दिया जावेगा। जिसकी अलग से कोई सूचना नही दी जावेगी।

सरपंच

आज्ञाओ की सूची

मिसल नं ..../202...–2....   नियम 158–1

प्रार्थी ....

ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति .... जिला परिषद् ....

क्रस	तारीख	कार्यवाही विवरण	आगामी सुनवाई की तारीख
4.		पत्रावली बैठक मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा दिये गये नोटिस के अनुसार रसीद सं................दिनांक .... राशि रूपये .... जमा करा दी गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को भूमि आवंटन कर निम्नानुसार विक्रय विलेख जारी कर दिया है पटटा बुक सं. .... पटटा सं .... पटटा जारी दिनांक .... अतः पत्रावली बन्द कर दफ्तर दाखिल की जाती है। सरपंच	

<u>पावती रसीद</u>

1. मैं .... पुत्र / पत्नी श्री .... निवासी ग्राम .... ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति .... यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा भूमिहीन होने के कारण ग्राम पंचायत .... में पट्टे हेतु आवेदन लिया गया था ग्राम पंचायत .... द्वारा पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 ते तहत पट्टा बूक संख्या............ पट्टा संख्या.............. क्षेत्रफल............................वर्गफीट/.................................वर्गगज जारी किया गया हैं ।
2. मुझे ग्राम पंचायत .... द्वारा ये जानकारी दी गयी कि उक्त नियम 158 के तहत भूमिहीन परिवार को जारी पट्टा <u>विक्रय के लिए नही होता</u> हैं एवं उक्त पट्टा सुद भूमि का विक्रय होने पर उक्त पट्टा निरस्त माना जावेगा ।
3. मैं भविष्य में उक्त पट्टा सुद भूमि का किसी को बेचान नही करूंगा ।
4. उक्त जारी पट्टे के 1 मूल प्रति मेनें द्वारा आज दिनांक .... को ग्राम पंचायत .... के कार्यालय से प्राप्त कर ली गयी हैं ।
5. ग्राम पंचायत .... द्वारा उक्त पट्टे में दर्शित भूमि का मुझे भौतिक रूप से कब्जा दिनांक .... को सुपर्द कर दिया गया है ।
6. मैं मेरा नया घर वर्तमान कब्जा .... भूमि को छोडकर उक्त पट्टे में दर्शित भूमि पर ही बनाऊँगा एवं मेरे परिवार सहित उक्त पट्टे में दर्शित भूमि में ही निवास करूंगा तथा ग्राम पंचायत .... के ग्राम .... के खसरा संख्या .... किस्म .... में अतिक्रमित भूमि का अतिक्रमण हटा दूंगा एवं भविष्य में आबादी भूमि में ही निवास करूंगा।

हस्ताक्षर